कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 20045/2019 रामकिशोर अटल बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य में श्री रामकिशोर अटल, प्रधानाचार्य, के माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर से अन्तरिम स्थगनादेश प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांकः 13.12.2019 द्वारा श्री रामकिशोर अटल को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मैड, विराटनगर जिला जयपुर में प्रधानाचार्य पद पर यथावत एवं श्री रेवडराम रेड्डी प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैड, विराटनगर जिला जयपुर को अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर में दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

याचिका संख्या 20045/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 04.01.2020 द्वारा याचिका को अन्तिम रूप से खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप याचिकार्थी को उनके समायोजन आदेश दिनांक 03.12.2019 की अनुपालना में पुनः राउमावि जोधपुरिया, निवाई जिला टोंक में प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में पारित निर्णय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुरिया, निवाई जिला टोंक में अन्य प्रधानाचार्य का पदस्थापन कर दिये जाने के फलस्वरूप पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में श्री रामकिशोर अटल का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगडी (BAGRI), निवाई जिला टोंक में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है।

श्री रेवडराम रेड्डी, (एपीओ प्रधानाचार्य, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर) को विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में उनके स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मैड, विराटनगर जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/रामकिशोर/20045/2019 **दिनांकः 07.01.2020**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर /अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/टोंक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/टोंक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।